

प्रेषक,

डॉ. धर्मेन्द्र सिंह गंगवार  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक-

विषय:- "तत्काल सेवा" के तहत निर्गत होने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंग:- विभाग का पत्रांक-19621, दिनांक-27.12.2013

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि दिनांक-27.12.2013 को आहूत Video Conferencing में "तत्काल सेवा" के तहत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अन्तरजातीय विवाह के मामले में माता को परिजन की मान्यता दी जाय अथवा नहीं के विन्दु पर उठाये गए प्रश्न के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-11/आ०-2-आ०नी०-03/2006, का०-3025 दिनांक-11 सितम्बर 2007 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कंडिका 02, 03 एवं 04, में निम्न प्रावधान किया गया है :-

2. सवर्ण हिन्दू एवं क्रिश्चियन पिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान की जाति का निर्धारण एवं सामाजिक मान्यता विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 1987-88 का 19वाँ प्रतिवेदन में अनुशंसा की गई है कि चूँकि समाज पितृसत्तात्मक है, इसलिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति माता तथा गैर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति पिता से उत्पन्न संतान को सामान्य रूप से पिता की जाति का माना जाय।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं०-6445/2000, अंजन कुमार यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिनांक-14.02.2006 को पारित आदेश में व्यवस्था की गई है कि सवर्ण हिन्दू पिता एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान न तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दर्जे का दावा कर सकते हैं और न ही सरकारी नौकरियों में आरक्षित श्रेणी के तहत रोजगार पा सकते हैं।

4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि गैर अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनजाति के पिता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि की मान्यता नहीं दी जाय।

अतः विभागीय पत्रांक-19621 दिनांक-27.12.2013 के साथ संलग्न समूह 'ख' में वर्णित "परिजन" संबंधी स्पष्टीकरण के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है, कि अन्तरजातीय विवाह के मामलों में माता के नाम पर पूर्व निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अर्थात् अन्तरजातीय विवाह के मामलों में संतान की जाति का निर्धारण पिता के जाति के आधार पर ही किया जाएगा।

अनु० - यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ. धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - 08/लो०से०अ०-02-20/2013,सा०प्र०.....<sup>2265</sup> पटना, दिनांक <sup>18-2-14</sup>  
प्रतिलिपि - सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,  
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव  
सभी विभागाध्यक्ष  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त  
सभी जिला पदाधिकारी

पटना-१५, दिनांक- ११ सितम्बर, २००७

विषय:- सवर्ण हिन्दू पिता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान की जाति का निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-६०५ दिनांक-११.१२.१९८५ (परिपत्र सं०-९९ दिनांक-०३.०३.१९७८ का संशोधन) द्वारा प्रावधान किया गया है कि वैध विवाहित सवर्ण हिन्दू पिता और अनुसूचित जाति की माता से उत्पन्न संतान को ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में शुमार किया जा सकता है एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं०-१०६ दिनांक-०३.०३.१९७९ द्वारा प्रावधान किया गया है कि सवर्ण हिन्दू पिता एवं अनुसूचित जनजाति की माता तथा गैर आदिवासी क्रिश्चियन पुरुष एवं क्रिश्चियन आदिवासी माता से उत्पन्न संतान को यदि अनुसूचित जनजाति का समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में स्वीकार कर ले तो उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है।

२. सवर्ण हिन्दू एवं क्रिश्चियन पिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान की जाति का निर्धारण एवं सामाजिक मान्यता विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति १९८७-८८ का १९वाँ प्रतिवेदन में अनुशंसा की गई है कि चूँकि समाज पितृसत्तात्मक है, इसलिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति माता तथा गैर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति पिता से उत्पन्न संतान को सामान्य रूप से पिता की जाति का माना जाय।


३. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं०-६४४५/२०००, अंजन कुमार बनाम यूनिन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिनांक-१४.०२.२००६ को पारित आदेश में व्यवस्था की गई है कि सवर्ण हिन्दू पिता एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान न तो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के दर्जे का दावा कर सकते हैं और न ही सरकारी नौकरियों में आरक्षित श्रेणी के तहत रोजगार पा सकते हैं।

४. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि गैर अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनजाति के पिता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि की मान्यता नहीं दी जाय।

५. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत परिपत्र सं०-९९ दिनांक-०३.०३.१९७८, परिपत्र सं०-६०५ दिनांक-११.१२.१९८५ तथा परिपत्र सं०-१०६ दिनांक-०३.०३.१९७९ को रद्द किया जाता है।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

  
(सरयुग प्रसाद)  
सरकार के उप सचिव